



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

*Md. Meraj Khan*

ACC Name Md. Meraj Khan  
ACC Code UP14306404  
ACC ADDRESS.TAHSIL ZAMANIA  
MOBILE NO. 9416308105  
LICENCE NO. 21  
DISTRICT- GHAZIPUR (U.P.)

e-Stamp

2366/2023

Certificate No. : IN-UP39820394226976V  
 Certificate Issued Date : 20-Jun-2023 03:35 PM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14306404/ ZAMANIA/ UP-GZP  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1430640473974448548888V  
 Purchased by : AMARNATH TIWARI MANAGER SITARAM MEMORIAL TRUST  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : MAUJA JALALPUR TEH ZAMANIA GHAZIPUR ARAJI NO83/2 AND OTH LEASE PD 30 YEAR  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : AMARNATH TIWARI TRUSTEE SHRI VASHISHTH MEMO TRUST  
 Second Party : AMARNATH TIWARI MANAGER SITARAM MEMORIAL TRUST  
 Stamp Duty Paid By : AMARNATH TIWARI MANAGER SITARAM MEMORIAL TRUST  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,600  
 (Three Thousand Six Hundred only)



Locked by

SR. *[Signature]*

Please write or type below this line

*Amar Nath Tiwari*



*Amar Nath Tiwari*



JD 0040351977

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at [www.shcilestamp.com](http://www.shcilestamp.com) or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





Amarnath Tiwari



Amarnath Tiwari

### किस्म दस्तावेज पट्टा विलेख (Lease Deed)

पट्टा की अवधि- 30 वर्ष (अनधिक)

मौजा-जलालपुर परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर।

निर्धारित वार्षिक किराया- 30000/-

निर्धारित वार्षिक पट्टा के छः गुना से रूपया 180000/-रु०  
(स्टाम्प एक्ट की अनुसूची-1 के अनुच्छेद 35 के अनुसार)

अदा ई-स्टाम्प- 3600/-

अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी परगना  
व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर बजरिये मुख्य ट्रस्टी श्री वशिष्ठ  
मेमोरियल ट्रस्ट बघरी जमानिया गाजीपुर -

(पट्टादाता प्रथमपक्ष )

व

सीता राम मेमोरियल ट्रस्ट बघरी जमानिया गाजीपुर बजरिये  
मैनेजर अमरनाथ तिवारी पुत्र कृष्णानन्द तिवारी साकिन बघरी  
परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर-

(पट्टाग्रहिता द्वितीय पक्ष)

Amarnath Tiwari



Amarnath Tiwari



सुरत तहरीर दस्तावेज पट्टा हाजा यूं हुई कि प्रथम पक्ष भू-स्वामी के नाम मौजा-जलालपुर परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर स्थित आ0नं0 83/2 रकबा 0.510हे0 व 84/2 रकबा 0.492हे0 व 85/1 रकबा 0.915हे0 व सं86/1 रकबा 0.043 हे0 व 87 रकबा 0.308हे0 व 88/2 रकबा 0.061हे0 जुमला छः गाटा कुल रकबा 2.329हे0 में 0.810हे0 (दो एकड़) भूमि

जिसकी चौहद्दी-

पूरब- भूमि प्रथम पक्ष

पश्चिम- सड़क

उत्तर- भूमि प्रथम पक्ष

दक्षिण- खेत राजेश शर्मा व अन्य

को द्वितीय पक्ष शिक्षण संस्थान चलाने हेतु उक्त भूमि मय भवन बाउण्ड्रीवाल को पट्टा पर लेने हेतु प्रथम पक्ष के समक्ष प्रस्ताव रखा उक्त प्रस्ताव को प्रथम पक्ष ने स्वीकार किया उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों के आधार पर उक्त हस्ब चौहद्दी भवन जैल में निर्मित भूमि मय भवन बाउण्ड्री को 30 वर्ष पट्टा पर देना व लेना स्वीकार कर यह पट्टा विलेख निष्पादित कर रहे हैं।

(पट्टा विलेख की शर्त)-

1. मौजा-जलालपुर परगना व तहसील जमानिया जिला गाजीपुर स्थित आ0नं0 83/2 रकबा 0.510हे0 व 84/2 रकबा 0.492हे0 व 85/1 रकबा 0.915हे0 व सं86/1 रकबा 0.043हे0 व 87 रकबा 0.308 हे0 व 88/2 रकबा 0.061हे0 जुमला छः गाटा कुल रकबा 2.329 हे0 में 0.810 हे0 (दो एकड़) भूमि को रूपया 30000/-रु0 वार्षिक पट्टा की दर से प्रथम पक्ष पट्टा पर उठाना चाहता है और

Amar Nath Tiwari



Amar Nath Tiwari





- द्वितीय पक्ष भी उक्त दर पर शिक्षण संस्था संचालन हेतु किराये पर लेने पर सहमत है, यानि तैयार है।
2. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित भूमि का निर्धारित किराया 30000/- रू० प्रति वर्ष की दर से प्रथम पक्ष को अदा करेगा।
  3. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि मय भवन बाउण्ड्री को दिनांक 20.06.2022 से 19.06.2052 तक यानि 30 वर्ष के लिए पट्टा पर प्रथम पक्ष द्वारा दिया जा रहा है।
  4. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि को प्रथम पक्ष पट्टा मियाद की अवधि से पूर्व द्वितीय पक्ष से खाली नहीं करायेगा।
  5. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि मय भवन बाउण्ड्री में द्वितीय पक्ष को शिक्षण संस्थान खोलकर उपयोग व उपभोग करने का अधिकार होगा। शिक्षण संस्थान (स्कूल) संचालन में नियमों व उपबन्धों तथा सरकारी प्राविधानों के अनुरूप द्वितीय पक्ष के कार्य करने में कोई व्यवधान प्रथम पक्ष उत्पन्न नहीं करेगा।
  6. यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त वर्णित भवन मय बाउण्ड्री का उपयोग शिक्षण संस्था के संचालन हेतु ही करेगा इसमें विद्युत, टेलीफोन वगैरह का कनेक्शन द्वितीय पक्ष अपने नाम से लेगा तथा उनके समस्त प्रकार के बिलों का भुगतान द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा।
  7. यह कि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि को अपने खर्च से अपने सुविधा व आवश्यकता के मुताबकि निर्माण करने का अधिकार होगा इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

Amar Nath Tiwari

Amar Nath Tiwari



8. यह कि द्वितीय पक्ष को उक्त हस्ब चौहददी भूमि में कोई सिकमी किरायेदार रखने का अधिकार नहीं होगा और न ही कब्जा किसी दूसरे पक्ष को हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा।

9. यह कि पट्टा विलेख में समस्त शर्त से उभय पक्ष व उनके वारिसानों (विधिक प्रतिनिधि व उत्तराधिकारी) भी पाबन्द होंगे/रहेंगे।

अतः यह पट्टा विलेख खुब सोच समझकर बिना किसी दबाव के अपने पूर्ण होश हवास में समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिये ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। उभय पक्ष भारतीय नागरीक है उभय पक्ष का स्वप्रमाणित फोटो चेहरे से मिलान करके इस दस्तावेज पर चस्पा है।

Aman Nath Tiwari

Aman Nath Tiwari





तहरीर तारीख- 20.06.2023

टाइपकर्ता- अनुप कुमार

मसविदाकर्ता- मु0 एनाम एड0, जमानियाँ, गाजीपुर


फीस- 200रू0

प्रथम पक्ष

Amar Nath Tiwari

द्वितीय पक्ष

Amar Nath Tiwari




गवाह- रामेश्वर सिंह पुत्र कन्हैया जी सिंह साकिन महुजी तहसील  
सकलडीहा जिला चन्दौली।

Rameshwar Singh

गवाह- आशीष उपाध्याय पुत्र श्रीकृष्णकान्त उपाध्याय साकिन कोदई  
ओयरचक चन्दौली।

Ashish Upadhyay



Rameshwar Singh




Ashish Upadhyay

आवेदन सं०: 202300991003017

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 4723 के पृष्ठ 115 से 126 तक क्रमांक 2366 पर दिनांक 20/06/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

  
प्रभारी रमाशंकर सिंह  
उप निबंधक : जमानिया  
गाजीपुर  
20/06/2023

